[15/2/2024]

प्रश्न सं. [क. 1879]

कार्या.प्रशासक बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सह. समिति मर्या.चौखण्डी,जिला–रीवा(म.प्र.)

क्र./वयू./2024

चौखण्डी, दिनांक 29/01/2024

आदेश

कार्यालयीन आदेश द्वारा श्री सत्यदेव कुशवाहा विकेता को संस्था का प्रभार सौंपा गया था। श्री द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी सहायक समिति प्रनंधक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में याचिका (क्रमांक WP 15662/2023) प्रस्तुत की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 05.01.2024 को याचिका का निराकरण करते हुए प्रतिवादी कमांक 3 प्रशासक सेवा सहकारी समिति मर्यादित चौखण्डी को नियमित समिति प्रबंधक के पदस्थ होने तक सहायक समिति प्रबंधक को प्रभार देने हेतु निर्देशित किया है। साथ ही बिंदु कमांक 1 में माननीय न्यायालय द्वारा यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ता श्री द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी, सहायक समिति प्रबंधक हैं या नही, उक्त के संबंध में कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता रीवा सम्भाग रीवा का पत्र क./साख/2023 /314 रीवा दिनांक 27.04.2023 के अनुसार श्री द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी को कैशियर पद से सहायक समिति प्रबंधक के पद पर संस्था के संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 12.04. 2015 के प्रस्ताव क. 03 से पदोन्नत किया गया है। जिसका अनुमोदन कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला रीवा के आदेश कमांक/साख/2016/603 दिनांक 28.03.2016 द्वारा किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका (क्रमांक WP 15662/2023) के आदेश के परिपालन में श्री द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी सहायक समिति प्रबंधक को संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु तत्कालिक रूप से आगामी आदेश तक संस्था के प्रबंधकीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु अधिकृत किया जाता है। यह व्यवस्था बैंक कैडर के समिति प्रबंधक पदस्थ होने तक प्रभावी रहेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(विकास माठे)
प्रशासक
बहु.प्रा.साख सहकारी समिति मर्या.चौखण्डी

प्रतिलिपि–

1. उपायुक्त सहकारिता जिला रीवा की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रीवा की ओर सूचनार्थ एवं बैंक कैडर के समिति प्रबंधक पदस्थ करने बावत्।
3. शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रीवा की शाखा डभौरा की ओर सूचनार्थ।
4. श्री सत्यदेव कुशवाहा विकेता/प्रभारी समिति प्रबंधक संस्था चौखण्डी की ओर सूचनार्थ एवं प्रभार सौंपने हेतु।
5. श्री द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी सहायक समिति प्रबंधक संस्था चौखण्डी की ओर पालनार्थ एवं संस्था के प्रभारी समिति प्रबंधक से प्रभार प्राप्त कर कार्य संचालन प्रारंभ करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(विकास माठे)
प्रशासक
बहु.प्रा.साख सहकारी समिति मर्या.चौखण्डी

31/1/24

प्राप्त किया
द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी
29/01/2024

अवर सचिव
म.प्र. शासन
सहकारिता विभाग